**श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 08.10.2014 को अंचल कार्यालय, पूर्णियाँ पूर्व के किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :–**

निरीक्षण के समय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ एवं आई0टी0 प्रबंधक, समाहरणालय, पूर्णियाँ उपस्थित थे।

1– **आर0टी0पी0एस0** :– सर्वप्रथम आर0टी0पी0एस0 काउंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में आर0टी0पी0एस0 काउंटर की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। तदोपरान्त आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत विभिन्न सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम/नियमावली के तहत नामांतरण से संबंधी आवेदनों के निष्पादन एवं अभिलेख संधारण में गंभीर अनियमितताएँ पाई गयीं, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

I- नामांतरण आवेदन लंबित रहने के बावजूद निस्तार संबंधी स्थिति अंकित करते हुए कपटपूर्वक False सूचना RTPS Website पर अपलोड करना:

जाँचोपरान्त कई मामलों में पाया गया कि नामांतरण सेवा प्रदान करने की अंतिम तिथि को आर0टी0पी0एस0 के Website पर आवेदन निस्तार की स्थिति अंकित है किन्तु अभिलेख का निस्तार नहीं हुआ है तथा नामांतरण शुद्धि–पत्र भी तैयार नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान ऐसे भी अभिलेख पाये गये, जिनमें नामांतरण आवेदन RTPS के माध्यम से प्राप्त होने के उपरान्त कोई अनुवर्ती कार्रवाई यथा– आम सूचना इत्यादि नहीं की गई तथा आदेश–फलक खाली पाया गया किन्तु RTPS Website पर आवेदन निस्तार की स्थिति अंकित पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिनियम के तहत आर्थिक दण्ड के कुप्रभाव से बचने हेतु अभिलेख की वास्तविक स्थिति के विपरीत कपटपूर्वक False सूचना RTPS Website पर अंकित की गई है। उदाहरण स्वरूप निम्नांकित अभिलेख (अनुलग्नक–क कुल 59 पन्ने) के संदर्भ में उक्त स्थिति दृष्टिगत है :–

| क्र0 सं0 | आर0टी0पी0एस0 आवेदन सं0 | वाद संख्या | आवेदन तिथि | निष्पादित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050113093071407862 | 4152/14-15 | 09/08/2014 | 01/09/2014 |
| 2 | 050113093071404127 | ---- | 30/04/2014 | 24/05/2014 |
| 3 | 050113093071408974 | 5264/14-15 | 04/09/2014 | 25/09/2014 |
| 4 | 050113093071408580 | 4870/14-15 | 27/08/2014 | 17/09/2014 |
| 5 | 050113093071407826 | 4116/14-15 | 08/08/2014 | 01/09/2014 |
| 6 | 050113093071408047 | 4337/14-15 | 13/08/2014 | 05/09/2014 |
| 7 | 050113093071407823 | 4113/14-15 | 08/08/2014 | 01/09/2014 |

उक्त गंभीर अनियमितता के लिए अंचल अधिकारी, श्री सुभाष कुमार सिंह (लिपिक संविदा)/श्री चंदन कुमार (निम्न वर्गीय लिपिक) एवं मो0 जमशेद आलम (कार्यपालक सहायक) प्रथम दृष्टया जिम्मेवार हैं।

II- नामांतरण अभिलेखों के निस्तार होने के उपरान्त लंबी अवधि तक नामांतरण संशोधन पर्ची (शुद्धि–पत्र) आवेदकों को उपलब्ध नहीं कराना:–

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि नामांतरण अभिलेख के आदेश–फलक पर अंचल अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त भी लंबी अवधि तक संशोधन पर्ची (शुद्धि–पत्र) तैयार नहीं किया गया, जो कि संबंधित कर्मियों एवं अंचल अधिकारी के अनियमित कार्यकलाप का परिचायक है। निरीक्षण के क्रम में कई अभिलेख में उपरोक्त अनियमितता पाई गई। कुल 23



Rajesh.

ऐसे अभिलेखों की विवरणी निम्नवत है। (संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुलग्नक – ख)

| क्र0 सं0 | आर0टी0पी0एस0 आवेदन सं0 | आवेदन तिथि | निष्पादित तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 050113093071408476 | 25.08.2014 | 15.09.2014 |
| 2 | 050113093071408411 | 23.08.2014 | 13.09.2014 |
| 3 | 050113093071408449 | 25.08.2014 | 15.09.2014 |
| 4 | 050113093071408438 | 25.08.2014 | 15.09.2014 |
| 5 | 050113093071408679 | 29.08.2014 | 19.09.2014 |
| 6 | 050113093071408429 | 23.08.2014 | 13.09.2014 |
| 7 | 050113093071408422 | 23.08.2014 | 13.09.2014 |
| 8 | 050113093071408555 | 27.08.2014 | 17.09.2014 |
| 9 | 050113093071408492 | 26.08.2014 | 15.09.2014 |
| 10 | 050113093071408437 | 25.08.2014 | 15.09.2014 |
| 11 | 050113093071408736 | 30.08.2014 | 20.09.2014 |
| 12 | 050113093071408732 | 30.08.2014 | 20.09.2014 |
| 13 | 050113093071408731 | 30.08.2014 | 20.09.2014 |
| 14 | 050113093071408554 | 27.08.2014 | 17.09.2014 |
| 15 | 050113093071408741 | 30.08.2014 | 20.09.2014 |
| 16 | 050113093071408659 | 29.08.2014 | 19.09.2014 |
| 17 | 050113093071408672 | 02.08.2014 | 19.09.2014 |
| 18 | 050113093071408671 | 29.08.2014 | 19.09.2014 |
| 19 | 050113093071408609 | 28.08.2014 | 18.09.2014 |
| 20 | 050113093071408605 | 28.08.2014 | 18.09.2014 |
| 21 | 050113093071408602 | 28.08.2014 | 18.09.2014 |
| 22 | 050113093071408606 | 28.08.2014 | 18.09.2014 |
| 23 | 050113093071408582 | 27.08.2014 | 17.09.2014 |

उक्त गंभीर अनियमितता के लिए अंचल अधिकारी एवं श्री सुभाष कुमार सिंह (लिपिक संविदा)/श्री चंदन कुमार (निम्न वर्गीय लिपिक) प्रथम दृष्टया जिम्मेवार हैं।

III- समीक्षा के क्रम में कई नामांतरण सेवा आवेदन के दो–दो अभिलेख पाये गये। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सेवा आवेदन के संदर्भ में RTPS Website पर आवेदन स्वीकृत अंकित है, किन्तु मुल अभिलेख के आदेश पत्रक पर अस्वीकृति का आदेश अंकित है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उसी आवेदन संख्या से संबंधित दूसरा अभिलेख भी संधारित है, जिसमें आवेदक का पावती रसीद (कार्यालय प्रति के बदले) संलग्न पाया गया तथा दाखिल खारिज आवेदन में मात्र आवेदक का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान अंकित पाया गया तथा आवेदन खाली पाया गया। अन्य कागजात भी खाली पाया गया।

उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के जनता दरबार में लगातार इस आशय की शिकायत प्राप्त होती रही है कि पूर्णियाँ पूर्व अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कार्य में अवैध वसुली की जा रही है। इस बिन्दु पर भी शिकायत प्राप्त होती रही है कि आवेदकों को अस्वीकृति वाला अभिलेख दिखा कर दाखिल खारिज करने हेतु अवैध रूप से राशि की मांग की जाती है तथा राशि की प्रतिपुर्ति हो जाने पर दाखिल खारिज कर दिया जाता है। एक ही आवेदन के संदर्भ में उपरोक्त वर्णित दो अभिलेख का संधारण ऐसे शिकायत की पुष्टि करता है। इस कार्यकलाप में पूर्णियाँ पूर्व अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी एवं कर्मियों के अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक की भी संदिग्ध भूमिका है। निम्नांकित अभिलेख (अनुलग्नक–ग कुल 19 पन्ने ) के संदर्भ में उक्त स्थिति दृष्टिगत है :–

| क0 सं0 | आर0टी0पी0एस0 आवेदन सं0 | वाद संख्या | आवेदन तिथि | निष्पादित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050113093071404517 | 978/14-15 | 12/05/2014 | 02/06/2014 |



Raja Ke.

उक्त अभिलेख जाँच के क्रम में RTPS में आवेदिका का नाम – गीता देवी, पति – टुनाई पासवान अंकित पाया गया। (अनुलग्नक–ग का पृ0 – 02) किन्तु आम सूचना एवं आदेश पत्रक में टुनाई पासवान को आवेदक के रूप में दिखाया गया है। (अनुलग्नक–ग का पृ0 – 04 एवं 05)। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अंचल कार्यालय, पूर्णियाँ पूर्व में नामांतरण वादों में गलत मंशा से अनियमित रूप से अभिलेखों का संधारण किया जाता है।

IV- निरीक्षण के क्रम में कई ऐसे मामले भी पाये गये जिनमें एक ही जमीन के नामांतरण आवेदन को कई बार अस्वीकृत करने के उपरान्त कालान्तर में स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए अंचल अधिकारी तथा कार्यालय कर्मियों के साथ–साथ संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक पूर्णतः दोषी हैं। आई0टी0 प्रबंधक द्वारा बताया गया कि RTPS Website पर उपलब्ध सूचना के समीक्षोपरान्त निम्नांकित मामलों में उक्त स्थिति दृष्टिगत है :–

| क0 सं0 | अस्वीकृत आवेदनों की आर0टी0पी0एस0 आवेदन सं0 | स्वीकृत आवेदनों की आर0टी0पी0एस0 आवेदन सं0 | आवेदक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 050113093071219393 (14-12-2012) | 050113093071401378 (01-02-2014) | मो0 शमीम अख्तर |
| 2 | 050113093071304716 (19-03-2013) | 050113093071315225 (14-11-2013) | मो0 रिता देवी |
| 3 | 050113093071214305 (06-11-2012) | 050113093071405682 (16-06-2014) | राजकिशोर मंडल |

निरीक्षण के दौरान अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने के वाबजूद तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जोकि अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के अनियमित कार्यकलाप तथा अनुशासनहीनता का परिचायक है। निरीक्षण के दौरान अभिलेख उपस्थापित नहीं करने संबंधी गंभीर कदाचार के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ सदर अलग से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

V- आर0टी0पी0एस0 वितरण काउन्टर के निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि दिनांक 22.08.2014 तक का ही नामांतरण शुद्धि–पत्र वितरण हेतु उपलब्ध है। वितरण पंजी भी विधिवत संधारित नहीं पाया गया। वितरण पंजी में कई प्रविष्टियाँ खाली पाई गईं। इस संबंध में कार्यपालक सहायक श्री मिथलेश कुमार विश्वास द्वारा बताया गया कि उन्हें संबंधित लिपिक श्री सुभाष कुमार सिंह (संविदा) एवं श्री चन्दन कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक के द्वारा नामांतरण शुद्धि–पत्र उपलब्ध कराया जाता है तथा आवेदकों द्वारा शुद्धि–पत्र की मांग करने पर उक्त कर्मियों के पास भेजा जाता है। यह अंचल कार्यालय के भ्रष्ट कार्यकलाप का परिचायक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि अंचल कार्यालय, पूर्णियाँ पूर्व में दाखिल खारिज से संबंधित कार्य में अत्यन्त ही गंभीर अनियमितता एवं संदेहास्पद कार्यकलाप व्याप्त है। इस प्रकार की स्थिति के लिए निम्नांकित पदाधिकारी एवं कर्मी पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं।

1– श्री आशुतोष झा, अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व।
2– श्री सुभाष कुमार सिंह, संविदा लिपिक।
3– श्री चन्दन कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक।
4– श्री जमशेद आलम, कार्यपालक सहायक।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नामांतरण सेवा संबंधी अभिलेखों का समय–सीमा के अन्दर निष्पादन नहीं करने की प्रवृत्ति व्याप्त है। इस संबंध में आई0टी0 प्रबंधक को विगत एक वर्ष में



Rajeev.

माह–वार नामांतरण आवेदनों के निष्पादन में हुए विलम्ब के समानुपातिक दण्ड राशि की गणना कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। आई0टी0 प्रबंधक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक–10.10.2014 (अनुलग्नक– घ कुल 01 पन्ना) के अनुसार वांछित विवरणी निम्नवत है :–

| क्रम सं0 | वर्ष | माह का नाम | समय–सीमा के अन्दर निस्तार नहीं होने वाले आवेदनों की संख्या | समय–सीमा के बाद लंबित आवेदनों की अवधि (दिवस में) | अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित दर से आर्थिक दंड की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2013 | अक्टुबर | 1259 | 4740 | 1185000 |
| 2 | 2013 | नवम्बर | 679 | 4473 | 1109250 |
| 3 | 2013 | दिसम्बर | 293 | 610 | 152500 |
| 4 | 2014 | जनवरी | 338 | 833 | 208250 |
| 5 | 2014 | फरवरी | 574 | 2815 | 703750 |
| 6 | 2014 | मार्च | 462 | 3601 | 840750 |
| 7 | 2014 | अप्रेल | 429 | 3450 | 720750 |
| 8 | 2014 | मई | 575 | 15217 | 1933000 |
| 9 | 2014 | जून | 124 | 365 | 91250 |
| 10 | 2014 | जुलाई | 272 | 690 | 170500 |
| 11 | 2014 | अगस्त | 194 | 3183 | 369750 |
| 12 | 2014 | सितम्बर | 428 | 10013 | 1024500 |
| **कुल** | | | **5627** | **49990** | **8509250** |

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि माह अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत नामांतरण संबंधी कुल 5627 आवेदन समयावधि बीतने के बाद निष्पादित किये गये हैं एवं तदनुसार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम/नियमावली में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विलम्ब के विरूद्ध निर्धारित दर से समानुपातिक आर्थिक दण्ड कुल 8509250.00 रूपये (पचासी लाख नौ हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) अधिरोपित किया जाना अपेक्षित था। उल्लेखनीय है कि इसके लिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ अपीलीय प्राधिकार हैं। निरीक्षण के दौरान ही श्री राजेश रौशन, बि0प्र0से0 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ–सह–अपीलीय प्राधिकार को बुलाकर अधिरोपित आर्थिक दण्ड की समीक्षा की गई। अपीलीय प्राधिकार–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ, द्वारा बताया गया कि सेवा प्रदान करने में विलम्ब के लिए अबतक अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के विरूद्ध मात्र 10,000 रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया गया है। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि उक्त आर्थिक दण्ड की राशि की वसूली भी नहीं की जा सकी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि श्री राजेश रौशन, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम/नियमावली में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो कि गंभीर अवचार/कदाचार है। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत नामांतरण सेवा आवेदन



Rajesh.

के विलम्ब से निस्तार के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकार द्वारा बरती गई शिथिलता एवं लापरवाही के लिए पुनर्विलोकन प्राधिकार–सह–अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है जोकि खेद जनक है।

**उपरोक्त वर्णित स्थिति में निम्नांकित आदेश दिया जाता है :–**

- अंचल अधिकारी उपरोक्त सभी निरीक्षण बिन्दुओं पर एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध करावें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई तथा निलंबन की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को भेज दी जाय।
- अंचल कार्यालय में कार्यरत श्री सुभाष कुमार सिंह, लिपिक (संविदा) की संविदा आधारित सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय।
- अंचल कार्यालय में कार्यरत श्री चन्दन कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय।
- अंचल कार्यालय में कार्यरत श्री जमशेद आलम, कार्यपालक सहायक को कार्यमुक्त कर दिया जाय।
- उपरोक्त कंडिका–III, IV में वर्णित अनियमितता के लिए अंचल निरीक्षक एवं संबंधित हल्का कर्मचारी भी दोषी हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ तदनुसार संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें, ताकि उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई एवं निलंबन की कार्रवाई की जा सके।
- श्री राजेश रौशन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करें कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा अपीलीय प्राधिकार के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया तथा क्यों नहीं उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई तथा निलंबन की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को भेज दी जाय।

स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ दो सप्ताह के अंदर उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अनुपालन कर संचिका उपस्थापित करेंगे।

2– **कार्यालय में संधारित अभिलेख/विभिन्न पंजियों की जाँच की गई तथा निम्न कमियाँ पाई गई –**

i. कर्मियों का सेवापुस्त अद्यतन संधारित नहीं पाया गया।

ii. कार्यालय में रक्षी संचिका संधारित नहीं पाया गया।

iii. ऑपरेशन भूमि दखल तथा ऑपरेशन बसेरा से संबंधित कोई भी संचिका निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

iv. महादलित बेदखली की पंजी संधारित नहीं पाई गई।

v. सूचना का अधिकार पंजी 10.02.2014 से संधारित दिखाई गई, परन्तु पूर्व की पंजी अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराई गई।

vi. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से प्राप्त अद्यतन निदेशों के संदर्भ में संचिका संधारण तथा कृत कार्रवाई में गंभीर लापरवाही दृष्टिगत हुई।

vii. विभिन्न वित्तीय अभिलेखों यथा – सामान्य रोकड़ बही, रोकड़ बही, अभिश्रव पंजी एवं अग्रिम पंजी का संधारण त्रुटिपूर्ण पाया गया।



Raje Ku.

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि अपने पर्यवेक्षण में अंचल कार्यालय में विभिन्न अभिलेख/पंजी का यथोचित संधारण सुनिश्चित करायेंगे।

नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व एवं जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि पूर्णियाँ पूर्व अंचल के सभी वित्तीय अभिलेखों की विस्तृत जाँच कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

पुनर्विलोकन प्राधिकार–सह–अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम/नियमावली के तहत यथाशीघ्र दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी के विरूद्ध आर्थिक दण्ड अधिरोपित कराकर राशि की वसूली सुनिश्चित करायेंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ

ज्ञापांक ...../सी0, पूर्णियाँ, दिनांक .....

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व/अंचल निरीक्षक/सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ/स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ/श्री अनिल कुमार दास, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व/जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निरीक्षण बिन्दुओं के संदर्भ में अपने अधीनस्त कार्यालय की जाँच कर RTPS के तहत नामांतरण आवेदनों से संबंधित कार्यों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करावेंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ

ज्ञापांक ...../सी0, पूर्णियाँ, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ

ज्ञापांक 3192 /सी0, पूर्णियाँ, दिनांक 11/10/2014

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajeke.
11/10/2014
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ